दिनांक 07.09.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न बाल विकास परियोजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत् बताया गया :–

क्रम	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
01	चतरा ग्रामीण	03	03
02	सिमरिया	06	02
03	ईटखोरी	01	01
04	टण्डवा	01	01
05	प्रतापपुर	05	03
06	हंटरगंज	09	06

रिक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 30.09.2012 तक रिक्तियों के विरूद्ध आम सभा के माध्यम से सेविका/सहायिका का चयन करते हुए अनुमोदन का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी केन्द्र का संचालन प्रभारी सेविका के माध्यम से नहीं हो। इसके लिए रिक्ति के विरूद्ध शीघ्र सेविका का चयन आवश्यक है।

02. **निरीक्षण/पर्यवेक्षण** :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को विगत बैठकों में निदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों सहित पर्यवेक्षिका का फोटोग्राफ निश्चित रूप से संलग्न कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ हीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उन आंगनबाड़ी केन्द्रों का Random जॉच करेंगी जिनका निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया जा चुका है ताकि उक्त केन्द्र की स्थिति स्पष्ट हो सके।

समीक्षा के क्रम में हंटरगंज परियोजना के पर्यवेक्षिका श्रीमती अमोला झा द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्त निदेश का सर्वथा अभाव पाया गया। इनके अतिरिक्त अन्य पर्यवेक्षिकाओं द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर नहीं किया गया है। टेबल पर बैठकर हीं प्रतिवेदन तैयार किया गया है जो निरीक्षण की खानापूर्ति मात्र है। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि निरीक्षण प्रतिवेदन में किसी आंगनबाड़ी केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई। स्पष्टतः आंगनबाड़ी केन्द्रों का सही पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। फलतः इस कार्यक्रम का उद्धेश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

निर्णय लिया गया कि प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में जिस आंगनबाड़ी केन्द्र में अनियमितता पायी जाएगी उसके लिए सम्बन्धित सेविका के साथ–साथ महिला पर्यवेक्षिका भी सीधे जिम्मेवार होगी तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रपत्र–''क'' गठित कर विभाग के उच्चाधिकारी को सूचित किया जाएगा।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील होकर आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रभावशाली पर्यवेक्षण किया जाय। केन्द्रों के संचालन में सुधार आवश्यक है ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना के उद्धेश्य की पूर्ति हो सके।

03. **मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ली योजना** :– इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुमोदित कुल 838 लाभुकों में से वर्त्तमान समय तक मात्र 722 लाभार्थियों के ही आवेदन राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र हेतु उपलब्ध कराये गए है तथा इतने हीं लाभार्थियों की राशि डाकघर को आवेदन के साथ उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 06.07.2012 को सम्पन्न बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिनांक 20.07.2012 तक अवशेष आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय, चतरा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था परन्तु वर्त्तमान समय तक लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया। इसपर काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुनः निदेशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 10.09.2012 तक अपने–अपने परियोजना से सम्बन्धित सभी आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ली येाजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 1500–1600 लाभुकों का लक्ष्य रखा गया।

चूँकि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ली योजना में लाभुकों का चयन एक सतत् प्रक्रिया है अतएव सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेशित है कि दिनांक 30.09.2012 तक अभियान चलाकर लाभुकों के आवेदन प्राप्त कर एवं आवश्यक छंटनी करते हुए जिला कार्यालय को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवेदन–पत्र के साथ–साथ हीं राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र का प्रपत्र भी लाभुकों से प्राप्त कर उपलब्ध करायें ताकि शीघ्रातिशीघ्र डाकघर में राशि जमा कर N.S.C. प्राप्त कर लिया जाय। आवेदन की छंटनी विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में की जाएगी। इससे सम्बन्धित पंजी का भी विधिवत् संधारण करने का निदेश दिया गया। डाकघर से प्राप्त N.S.C. का रख–रखाव सही ढंग से करने का भी निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने–अपने परियोजना से सम्बन्धित N.S.C. डाकघर, चतरा से प्राप्त कर लेंगे।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी मुखिया के साथ बैठक करना भी आवश्यक है तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से इसका बृहत्त प्रचार–प्रसार कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा जिला)

04. **पोषाहार** :– समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि माह जुलाई' 2012 तक का पोषाहार से सम्बन्धित अभिश्रव सभी परियोजनाओं से प्राप्त है तथा इसका विपत्र भी पारित हो गया है। माह अगस्त' 2012 का विपत्र किसी भी परियोजना से अप्राप्त है। पुछने पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी मुखिया को जिला से प्राप्त प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। मुखिया के द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण अभिश्रव नहीं भेजा जा रहा है। निदेश दिया गया कि माह सितम्बर' 2012 से मुखिया का प्रमाण–पत्र

आवश्यक होगा इसके बिना अभिश्रव पारित नहीं किया जाएगा। माह अगस्त' 2012 के लिए इस शर्त को शिथिल किया जाता है।

साथ हीं भविष्य में किसी भी परिस्थिति में पोषाहार से सम्बन्धित अभिश्रव प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।

05. **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** :– इसके तहत् विभाग द्वारा जिले का लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त है जिसे सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपावंटित भी किया जा चुका है।

यह ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में इसके तहत् गलत लाभार्थी का चयन नहीं हो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् चयनित लाभुकों के आवेदन अथवा सूची सम्बन्धित मुखिया/पंचायत समिति सदस्य से पारित कराकर भेजी जाय। सूची को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित करें तथा 07 दिनों के अन्दर आपत्ति (यदि किसी का हो) की भी मांग कर ली जाय। दिनांक 10.10.2012 तक लक्ष्य पूर्ण करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।

06. **कुपोषण** :– समीक्षा के क्रम में UNICEF के जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा निदेशानुसार कुपोषण उपचार केन्द्र पर कुपोषित बच्चों को भेजा जा रहा है। वर्त्तमान् में M.T.C. में एक भी बेड खाली नहीं है। इसपर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

निदेश दिया गया कि जो भी बच्चे M.T.C. से इलाज कराकर वापस जाते हैं उन्हें Follow-up के लिए पुनः M.T.C. में भेजने हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षिका उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करें।

07. **अन्यान्य** :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निदेशित किया गया कि अपना–अपना निवास स्थान मुख्यालय में हीं रखना सुनिश्चित करें ताकि आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण सुचारू रूप से हो सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/9/12

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 36 मु.रक्षा/स0क0 दिनांक 16.9.12

प्रतिलिपिः– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

16/9/12

उपायुक्त,
चतरा।

E:/Dswo/Letter/**Rajesh**